न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 तारीख फैसला
26 / 2022 9.09.2023

उनवान

1— सत्यनारायण पुत्र बच्छा उर्फ बंशीलाल जाति गुर्जर निवासी शोली तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(वादी)

बनाम

1— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

(प्रतिवादी)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती

वादी की ओर से – श्री जितेन्द्र शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से– तहसीलदार दीगोद

निर्णय

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम शोली तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खाता संख्या 228 की खसरा नम्बर 219 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 950 रकबा 0.53 हे0, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.35 हेक्टर , खसरा नमबर 988 रकबा 0.73 हेक्टर , कुल 4 किता की 1.96 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बच्छा दर्ज है, जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 संलग्न है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में वादी के नाम नामा0 दर्ज करते समय वादी के पिता के बोलते नाम बच्छा के नाम से नामा0 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी के पिता का नाम वास्तविक नाम बंशीलाल है तथा समस्त दस्तावेज़ों में भी वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल है। जिससे वादी का सरकार योजनाओं में किसान क्रेडिड कार्ड आदि लेने में परेशानी आ रही है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी का नामान्तरण दर्ज करते समय जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 अनुसार वादी का सही नाम सत्यनारायण आत्मज बच्छा उर्फ बंशीलाल दर्ज किया था परन्तु वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड में सत्यनारायण आत्मज बच्छा दर्ज है। आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी, अंकतालिका आदि में वादी का नाम सत्यनारायण आत्मज बंशीलाल है। वादी का नाम ग्राम शोली की जमाबन्दी में सत्यनारायण पुत्र बच्छा होने से सरकारी योजनाओं का लाभ व भूमि सुधार के लिये किसान क्रेडिड कार्ड लेने से वंचित हो रहा है। वादी को दस्तावेजों के आधार पर अपना नाम दुरुस्त कराने का कानूनन अधिकार है इसलिए वादी का नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वादी ने प्रतिवादी से दिनांक 15.02.2022 को निवेदन करने पर उन्होने कोई ध्यान नहीं दिया ओर मना कर दिया जिस कारण यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वाद कारण दिनांक 15.02.2022 को उत्पन्न हुआ जब कि प्रतिवादी ने उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम

रूस्त नहीं करने की कहने पर पैदा हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन है कि वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे कि:– कि ग्राम शोली तहसील दीगोद जिला कोटा में वादी के खाते में खाता संख्या 228 की खसरा नम्बर 219 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 950 रकबा 0.53 हे0, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.35 हेक्टर , खसरा नमबर 988 रकबा 0.73 हेक्टर , कुल 4 किता की 1.96 हेक्टर भूमि स्थित है जिसमें वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बच्छा दर्ज है। वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बच्छा के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल दर्ज किये जाने व मृतक बिरधी बाई का नाम डीलिट करने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई।

3. प्रतिवादी पेरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया कि पटवारी हल्का शोली कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम शोली की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता सं0 228 की खसरा नम्बर 219 रकबा 0.35 हेक्टर , खसरा नम्बर 950 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.73 हे0, कुल किता 4 रकबा 1.96 हेक्टर, भूमि सत्यनारायण पुत्र बच्छा जाति गूजर सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादी सत्यनारायण का नाम फोती नामान्तरण संख्या 746 दिनांक 5.08.2014 से खाते में दर्ज हुआ। उक्त नामान्तरकरण में वादी के पिता का बच्छा उर्फ बंशीलाल अंकिता किया गया था। किन्तु चोसाला जमाबन्दी बनते समय सहवन से वादी के पिता का नाम बच्छा अंकित हो गया।

4. वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी के खाते में खाता संख्या 228 की खसरा नम्बर 219 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 950 रकबा 0.53 हे0, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.35 हेक्टर , खसरा नमबर 988 रकबा 0.73 हेक्टर , कुल 4 किता की 1.96 हेक्टर भूमि जिसमें वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बच्छा दर्ज है। वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बच्छा के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल दर्ज किये जाने व मृतक बिरधी बाई का नाम डीलिट करने व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है।

5. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वंय का शपथ पत्र पी डब्ल्यु 1 एवं दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम शोली की जमाबन्दी खाता संख्या 228 सम्वत 2074 से 2077 , नामान्तरकरण नकल की प्रमाणित प्रति , नकल जमाबंदी खाता संख्या 228 की प्रमाणि प्रति, नकल जमाबन्दी प्रपत्र पी--26(बी) की प्रति व नकल नामा0 खाता सं0 746 की छायाप्रति , तथा मतदाता पहिचान पत्र की छाया प्रति , आधार कार्ड की छायाप्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये गये।

6. प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद ने बहस के दौरीन जवाब दावा में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादी की वल्दियत का राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करने में किसी प्रकार की आपत्ति नही है।

7. प्रकरण में अधिवक्ता वादी की बहस तथा जवाब सरकार एवं राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली में उपलब्द्व अन्य दस्तावेजों का गहन अध्ययन अवलोकन किया गया। पेश दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बच्छा जाति गूजर के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल जाति गूजर दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

— अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम शोली तहसील दीगोद की जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के खाता सं0 228 की खसरा नम्बर 219 रकबा 0.35 हेक्टर , खसरा नम्बर 950 रकबा 0.53 हेक्टर, खसरा नम्बर 960 रकबा 0.35 हेक्टर, खसरा नम्बर 998 रकबा 0.73 हे0, कुल किता 4 रकबा 1.96 हेक्टर, भूमि में वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र बच्छा जाति गूजर के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल जाति गूजर दर्ज किये जाने व मृतक बिरधीबाई पत्नि स्व0 बच्छा का नाम डिलिट किया जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली में अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने पर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.09.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

9/09/23
सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)